### Item No. 13 of check list.

No.DRA/1-158/2010-73198 Office of the District Collector, Solan, District Solan (HP)

Dated, Solan, 21-4-2014

To

The Member Secretary, SWCA Nalagarh, Distt. Solan H.P.

Subject:

Issue of certificate on new format under Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act (FRA) 2006.

Sir,

office Please refer your letter No. to Ind/SWCA/Nlg/Govt. land/Dabhota/2013-14/1078- dated 12.3..2014, on the

In this connection desired certificate is enclosed herewith for your information and further necessary action.

Encls: As above

subject cited above.

Yours faithfully,

District Collector, Solan, District Solan,

H.P.

FORM -1I

(for Projects other then linear projects)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH

# OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR, SOLAN DISTRICT SOLAN H.P.

No.

Dated

#### TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and forest (MoEF). Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt.) dated 3<sup>rd</sup> August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidence for the having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dweller (Recognition of Forest Right)Act,2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non forest purposes, it is certified that 515-3 bigha of forest land proposed to be diverted in favour of Industries Department for the setting up of Industrial area in Solan District falls within the Jurisdiction of Dabhota village(s) in Tehsil Nalagarh. (Forest Land) It is further certified that:-

- (a) The complete process for identification and settlement of Right under the FRA has been carried out for the entire 515-3 bigha of forest land proposed for diversion. A copy of records all consultation and meetings of the Forest Rights Committee (s) ,Gram Sabha (s),Sub-Division Level Committee (s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 1 to 2 .annexure. No rights/objections are submitted by Sub-Divisional Level committee.
- (b) The proposal for such diversion (with full details of the project and its implications in vernacular/local language) have been placed before each concerned Gram Sabha of Forest –Dwellers, who are eligible under the FRA.
- (c) The each of concerned Gram Sabha (s), has certified that all formalities/processes under the FRA have been carried out, and that they have given their

consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any ,having understood the Purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the Gram Sabha of Dabhota villages(s) is enclosed as annexure 1.

- (d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of Gram Sabha present.
- (e) The diversion of Forest Land for facilities managed by the Government as required under Section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabha have given their consent to it.
- (f) The rights of primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1) (e) of the FRA.

Madan Chauhan District Collector,

Solan. 🛴

PROCEEDING OF MEETING OF DISTRICT LEVEL COMMITTEE FOR ISSUANCE OF CERTIFICATE UNDER FRA,2006 HELD ON 16.4.2014 UNDER THE CHAIRMANSHIP OF SH. MADAN CHAUHAN, THE DEPUTY COMMISSIONER SOLAN, DISTRICT SOLAN H.P. The Following members participated in the meeting.

- 1. Addl. Deputy Commissioner (Member Secretary)
- 2.. DFO Solan/Nalagarh.(Member)

17 mm

- 3. Smt. Nirmla Devi,(Member ) Member Zila Prishad,R/O Badog,P.O. Meterni Tehsil Arki, Distt. Solan H.P.
- 4. Sh. Ajay Singh ,(Member) Member Zila Prishad,R/O Kot,P.O. Kotbeja, Tehsil Kasauli, Distt. Solan H.P.

In the meeting the issuance of certificates under FRA,2006 discussed based on the resolution passed by the concerned Gram Panchayats and the certificate to this effect issued by the Concerned Sub-Divisional Officers, was discussed. There is no objection/ representation pending in this office regarding the rights of local residents/stakeholders. The following proposals are considered in the meeting.

- 1. Certificate required by HPPWD Department for the construction of Solan Rajgarh Bye Pass road area 2.0925 hectares, D-158.(Forest Land).
- 2. Certificate required by HPPWD Department for the construction Solan Rajgarh Bye Pass road area 0.7800 hectares, (Forest Land) G.C.S. Jabal.
- 3. Certificate required by H.P. State Electricity Board for the Purpose of construction of 33/11KV IX 3.15 MVA Sub –Station (Goela) Baddal 4-Bigha 10 Biswa (4-10) 0.33.86 hectares (Forest Land)
- 4. Certificate required by Industries Department of H.P. for the Purpose of setting up of Industrial area 515-3 bigha village Dabhota (Forest Land)

After detailed discussion and taking into consideration the above mentioned record, the committee arrived at the decision to issue the requisite

certificates under FRA,2006 to the concerned departments and accordingly recommended and decided to issue the requisite certificates to the user agency.

> Deputy Commissioner(Chairman) District Level Committee, Solan.

Solan.

अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों की रक्षा बारे उप-मण्डलीय समिति नालागढ़ जिला सोलन की बैठक की कार्यवाही दिनाँक 04-03-2014

आज दिनाँक 04-03-2014 को कार्यालय उप-मण्डलाधिकारी (ना.) नालागढ़ में अधिसूचना Government of Himachal Pradesh Tribal Development Department No.TBD(A)3-1/2013-Loose,Dated.Shimla-2.....21August 2013 द्वारा गठित अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के वन अधिकारों की रक्षा बारे उप-मण्डलीय समिति नालागढ़ जिला सोलन हि.प्र. की बैठक श्री लिलत जैन (भा.प्र.से.) उप-मण्डलाधिकारी (ना.) नालागढ़ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें निम्नलिखित समिति के सदस्यों ने भाग लिया:-

- 1. श्री आर. डी. हरनोट तहसीलदार नालागढ़ (सदस्य सचिव)
- 2. श्री एस.पी.सिंह वन मण्डल अधिकारी नालागढ़ (सदस्य)
- 3. श्रीमति अमृत कौर पत्नी श्री खुशिन्द्र सिंह (सदस्या)
- 4. श्री रामा नन्द पुत्र श्री महन्त राम (सदस्य)

सर्वप्रथम अध्यक्ष द्वारा समिति के सदस्यों का बैठक में उपस्थित होने पर स्वागत किया गया,तत्पश्चात सदस्य सचिव एकल खिड़की नालागढ़, जिला सोलन (हि.प्र.) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त पत्र संख्या Ind/SWCA/Nalagarh/govt.Land/2013-806 Dated. 27-12-2013. के सम्बन्ध में, जिस्कुंडयोग विभाग द्वारा गाँव दभोटा में उद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु सरकारी वन्य भूमि मौजा दभोटा के खसरा नम्बर 1220,1221,1223,1225,1420 किता 5 तादादी 515-03 बीघा का उपयोग गैर वन्य उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। अतः उक्त भूमि पर अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी के अधिकारों तथा वन्य भूमि का उपयोग गैर वन्य उपयोग करने बारे विस्तृत चर्चा हुई । सभी सदस्यों ने माना कि उक्त वन्य भूमि पर किसी अनुसूचित जन जाति और अन्य परम्परागत वनवासी के अधिकार का कोई मामला इस समय लम्बित नहीं है । उक्त भूमि के हस्तान्तरण के सम्बन्धित ग्राम सभा दभोटा के प्रस्ताव संख्या 6 व 7 दिनाँक 26-12-2013 की प्रति भी बैठक में रखी गईं । अतः यह समिति सर्व सम्मित से ग्राम सभा दभोटा द्वारा पारित प्रस्ताव को ध्यान में रखते हुए उक्त भूमि को उद्योग विभाग को उद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु हस्तान्तरण करने के लिए जिला स्तरीय समिति अनुसूचित

जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता)अधिनियम, 2006. सोलन को सिफारिश करती है |

#### क्रम नाम सदस्य

- 1. श्री आर. डी. हरनोट तहसीलदार नालागढ़ (सदस्य सचिव)
- 2. श्री एस.पी.सिंह वन मण्डल अधिकारी नालागढ़ (सदस्य)
- 3. श्रीमति अमृत कौर पत्नी श्री खुशिन्द्र सिंह (सदस्या) Amed k
- 4. श्री रामा नन्द पुत्र श्री महन्त राम (सदस्य)

Randinada

हस्ताक्षर

लित-जैन (भा.प्र.से.)

अध्यक्ष एवं

उप- मण्डल अधिकारी (ना.) नालागढ़ जिला सोलन (हि.प्र.) फोन एवं फैक्स 01795-223024 OFFICE OF THE SDO CIVIL), Nalagarh DISTRICT Solan (H.P)

Proceedings of the meeting of the Sub-Division Committee constituted under Schedule Tribes & Traditional Forest Dwellers (Recognition of Rights) Act (FRA), 2006.

A meeting of the Sub-Division level Committee Nalagarh Sub-Division, constituted under FRA, 2006 was held under Chairmanship /chairpersonship of Mr/Ms. Lalit Jain the SDO(Civil) Malagard, on 34-03-2014 at 4 AM/PM at Malagard (Place) in which the application(s) claiming rights in For setting up of Industrial Are, forest areas under FRA, 2006, of the following applicant(s), duly processed and recommended by the Forest Right Committee Gram Sabha, discussed to consider the same for recommendation to the District Level Committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, the following decisions were taken on each application :-

Name of Applicant

Decision (Recommended/not Recommended)

1. Member Secretary 2. S.W. C.A. Nologorn

Recommended

Place: Malegorh

Date: 04.03.2014

SDO (Civil)-cum-Chairman/Chairperson

Sub-Division level Committee,

Malagarh Sub-Division.

# कार्यालय ग्राँम पंचायत, दभोटा

त. व विकास खण्ड नालागढ़ जिला सोलन (हि० प्र.) 174 101

	SALES CONTRACTOR OF SALES AND PROPERTY OF SALES	SEGMENT OF THE PARTY OF THE PAR	
क्रमांक ०६			दिनांक. 26/12/13

मानित मानिक अस्तल के है

प्रधान John रिक्टिंग ग्राम पंचायत दभोटा । जिला सोलग हि.प्र. 

Amorexure - A
के प्राचित मिन्न हैं है जिल्ला है मान्यता) अधिनियम २००६
अनुस्चित जनजाति अपि अस्य परप्रवास
अनुसुचित जनजाति और अन्य प्रस्परागत वन निवासी (वन आदरगण कार्यालय ग्राम पंचायत टार्था) कार्यालय ग्राम पंचायत टार्था जिला टिर्थार (हि०५०)
८ छन्। भारतास
विनांक 24/2/2
े जानमावता भी / भोगापा मान्यप्राप्त ।
$(1 - 1) \cdot (14)$
विषय उद्योग के उपयोग की
\$15-03 Marian
जंगल / वन क्षेत्र में प्रस्तावित
जंगल/ वन क्षेत्र मुनाण पत्र जारी करने हेत्।  मंजूरी के लिए अनापति प्रमाण पत्र जारी करने हेत्।  गाम पंचायत  को अन्याम को बैठक आज  को अन्याम कि मान कि
CANTED TOWN ON DING ILL
गाम पंचायत को प्राप्त विभाग / संस्था है
दिनांक में की गई, जिसमें ने किया है। जिसमें
के जन्म (गर्ग) देने हैं वर्ग के प्रमापित के निर्माण के विद्यार वर्ग
का अवस्था जंगल / वन क्षत्र में प्रसाण पत्र जारी करने पर चर्चा की गई।
( HIM 4/ O ! !! :
भूमि के उपयोग की मंजूरी के लिए अनामरा अने भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी सभी ग्रामवासियों ने संबधिंत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी सभी ग्रामवासियों ने संबधिंत वन भूमि के प्रस्तावित कार्य हेतू उपयोग के उद्देश्यों को पूरी सभी त्यान के उपरोक्त प्रस्ताव के तरह संमझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के तरह संमझने के बाद सर्व सम्मति से यह निर्णय लिया कि ग्राम पंचायत को उपरोक्त प्रस्ताव के
वर्ष समा शास्त्रास्त से यह निर्णय लिया । ध्रा अन्य समानि से यह निर्णय लिया । ध्रा अन्य समानि से यह निर्णय लिया
िलाए वर्न भीम विष आप ।
के भारतीय जनजाति आर अन्य न के ने भारतीय भी चर्चा
प्राम -सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निपास एक प्राम -सभा की इस बैठक में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निपास पर भी चर्चा अधिकारों की नान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम के अन्तर्गत वन रूप अधिकारों की मान्यता से सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन रिवास के अधिकारों की जा रही, है / कर ली गई है तथा
प्राम सभा की इस बठक न जिपुरार अन्तर्गत वन अधिकारों के दोवा के निपटार स्वीत वन के अन्तर्गत वन के अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के तथा सर्व सम्मति से यह परित किया गया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वन के किया परित किया गया कि जा रही, है / कर ली गई है तथा कि गई तथा सर्व सम्मति से यह परित किया परित की जा रही, है / कर ली गई है तथा कि जा रही है ।
अधिकारों की मान्यता) अधिनियम , 2006 के अन्तर्गत वर्ग जाया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ग की गई है तथा की गई तथा सर्व सम्मित से यह परित किया गया कि उपरोक्त अधिनियम के अन्तर्गत वर्ग की गई है तथा की गई तथा सर्व सम्मित से यह परित किया गया कि उपरोक्त की गई है तथा की गई तथा के निपटार सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जा रही, है कर ली गई है तथा की अधिकारों के दावों के निपटार सम्बन्धित सारी प्रकिया पूरी की जाती की सहमित दी जाती किया है जा उपयोग के लिए ग्राम सभा किया है जाती की सहमित दी जाती
अधिकारों के दावों के निपटार सम्बाधित की मूम को मुखा की निमण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा कि निमण हेतू उपयोग के लिए ग्राम सभा कि सहमति दी जाती
र निमाण रुपू र गार्थ
है।
स्थान उत्पादी माम पंचायत विकास कि माना है
स्थान डिमाटी गाम पंचायत एवं पुपारा जान के स्थान जान पंचायत एवं पुपारा जान के स्थान जान पंचायत जान के स्थान जान जान जान जान के स्थान जान जान जान जान जान जान जान जान जान ज
TA A AVV Y Y Y